तहसीलदार ने बदला हाईकोर्ट का आदेश

- संत आशाराम नगर का मामला
- हाईकोर्ट ने 31 मार्च को किया था फैसला
- हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री के आधार पर किया था निर्णय
- आदेशानुसार खाली कराना था 'पी-40 ए'
- तहसीलदार ने 'पी-40' के को खाली कराने के किए आदेश

विजय शर्मा

भोपाल, 09 अप्रैल. कोलार तहसील के एसडीएम ने हाईकोर्ट जबलपुर के आदेश के खिलाफ आदेश दे दिया. उसी आदेश के पालन में अब तहसीलदार ने मकान को खाली कराने का आदेश कर दिया है. इस तरह के विवादित मामले यहां पर पहले भी सामने आ चुके हैं.

मामला राजधानी में होशंगाबाद रोड पर बागमुगालिया क्षेत्र के संत आशाराम नगर का है. यहां पर ऊषा श्रीवास्तव के नाम से पी-40 ए की रजिस्ट्री थी, जो कि वह जीवित नहीं है, उनकी वारिस लड़की और दामाद ने रजिस्ट्री के आधार पर काफी पहले एसडीएम कार्यालय कोलार में मकान का कब्जा दिलवाने प्रकरण दर्ज कराया था, लेकिन वारिसान ने पी 40 का दावा किया. जबकि एसडीएम न्यायालय ने भी पी - 40 के मकान पर अधिकार का आदेश दे दिया.

इस आदेश के खिलाफ पीड़ित पक्ष अक्षत तिवारी और अर्चना दुबे उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर की, 31 मार्च को उन्हें मकान पर स्टे मिला था. जिसमें ऊषा श्रीवास्तव की रजिस्ट्री के आधार पर स्पष्ट आदेश किया कि संत आशाराम नगर के मकान नबंर पी-40 को इस मामले से बाहर किया जाए और पी- 40 ए को खाली करवाया जाए. लेकिन इस आदेश को कोलार एसडीएम पीसी पाण्डे ने न मानते हुए हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ 7 अप्रैल को पी-40 को खाली करने का आदेश जारी कर दिया, जो कोलार नायब तहसीलदार के पास पालन के लिए दिया गया था. इसके बाद एसडीएम के आदेश के पालन में नायब तहसीलदार की बजाय कोलार तहसीलदार यशवर्धन सिंह ने पी-40 को खाली कराने के लिए अक्षत तिवारी को नोटिस भेज दिया.

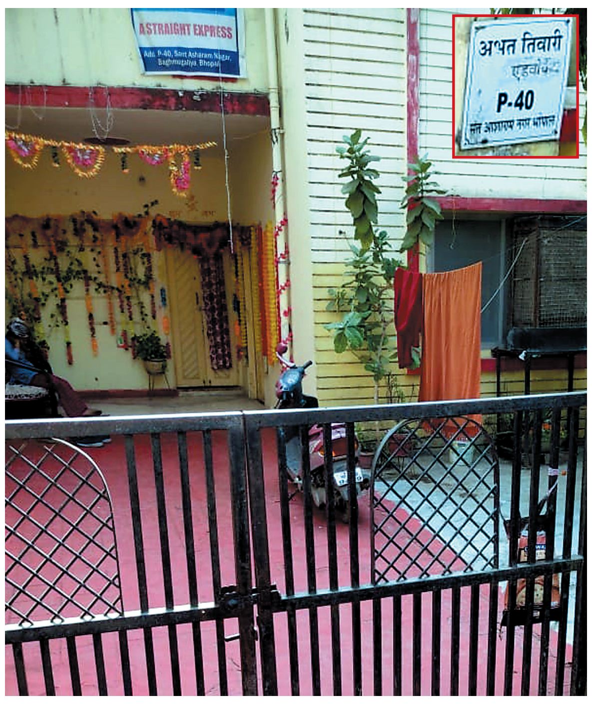

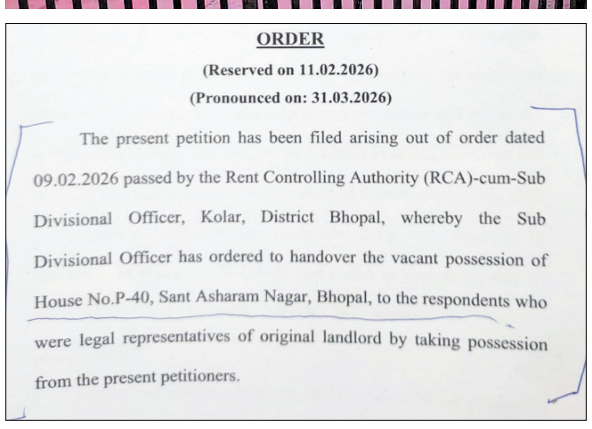

ORDER

(Reserved on 11.02.2026)

(Pronounced on: 31.03.2026)

The present petition has been filed arising out of order dated 09.02.2026 passed by the Rent Controlling Authority (RCA)-cum-Sub Divisional Officer, Kolar, District Bhopal, whereby the Sub Divisional Officer has ordered to handover the vacant possession of House No.P-40, Sant Asharam Nagar, Bhopal, to the respondents who were legal representatives of original landlord by taking possession from the present petitioners.

आदेश के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत

इस आदेश के बाद पीड़ित पक्ष ने संभागीय आयुक्त से मिलने के लिए समय मांगा, लेकिन वे नहीं मिले. इसके बाद पीड़ित पक्ष लोकायुक्त कार्यालय में पहुंचे और उन्होंने लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक को जांच के लिए शिकायत की है.

एक नजर में

क्या है मामला: हाईकोर्ट ने आदेश किया था पी-40 ए को खाली कराने का और एसडीएम ने पी-40 को खाली करने का आदेश दे दिया.

कहां हुई गड़बड़ी: एसडीएम ने रजिस्ट्री तो मान ली, लेकिन रजिस्ट्री के आधार पर आदेश नहीं किया.

इनका कहना है

प्रताड़ित करने के लिए तहसीलदार ने षडयंत्र पूर्वक आदेश किया है. हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री के आधार पर रजिस्ट्री पी-40 ए को खाली कराने के आदेश किए हैं तो फिर तहसीलदार ने पी-40 को खाली करने के आदेश क्यों किए हैं.

- अक्षत तिवारी, पीड़ित, पी-40 संत आशाराम नगर, भोपाल

न्यायालय के आदेश का पालन न करने की दशा में अवमानना का केस प्रस्तुत किया जा सकता है. न्यायालय चाहे तो कलेक्टर को भी तलब कर सकता है.

निखिल शर्मा, एडवोकेट, जिला न्यायालय भोपाल

यह मकान मेरे क्षेत्र में आता है, लेकिन मेरे घर में आवश्यक कार्य होने से अवकाश पर था, यह आदेश तहसीलदार ने किया हैं.

नरेन्द्र परमार, नायब तहसीलदार, कोलार तहसील भोपाल

मैंने एसडीएम के आदेश का पालन करते हुए यह मकान खाली कराने का आदेश किया है. आप एसडीएम से बात करें.

- यशवर्धन सिंह, तहसीलदार, कोलार तहसील भोपाल

एसडीएम के आदेश को हाईकोर्ट यथावत रखा है, उसी के आदेश पालन कराया जा रहा है.

- पीसी पाण्डे, एसडीएम, तहसील कोलार, भोपाल

यह मामला मेरी जानकारी में नहीं है, आपने बताया है तो मैं इसे दिखवाता हूं.

- सुमित कुमार पांडे, आईएएस, अतिरिक्त कलेक्टर भोपाल

एसटीएफ ने हैरी बॉक्सर गैंग के मुख्य सदस्य को किया गिरफ्तार

विशेष संवाददाता

भोपाल, 9 अप्रैल. मध्यप्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और विशेष जांच दल (एसआईटी) ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए हैरी बॉक्सर गैंग के मुख्य सदस्य प्रदीप शुक्ला को मुरैना जिले से गिरफ्तार किया है. आरोपी पर 20 हजार रुपये का इनाम घोषित था.

यह कार्रवाई अशोकनगर, इंदौर, भोपाल और खरगोन जिलों में हुए संगठित अपराधों की जांच के तहत की गई. मामला फरवरी माह का है, जब अशोकनगर में एक व्यापारी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर रंगदारी की धमकी दी गई थी. पुलिस के अनुसार, प्रदीप शुक्ला ने अपने साथियों को फरियादी के घर की रेकी करने और फायरिंग करने के निर्देश दिए थे. साथ ही ऑनलाइन माध्यम से धनराशि भी उपलब्ध कराई थी. घटना के बाद से वह राजस्थान, पंजाब और उत्तरप्रदेश में लगातार ठिकाने बदलकर फरार चल रहा था. इस प्रकरण में पहले ही तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. लगातार मिल रही खुफिया सूचनाओं के आधार पर एसटीएफ टीम ने 8 अप्रैल को मुरैना के शिकारपुर के पास उसे दबोच लिया. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

दूल्हे ने शादी में कट्टे से की फायरिंग

- पुलिस ने चाचा ससुर को किया गिरफ्तार
- आरोपी दूल्हे की तलाश जारी

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 09 अप्रैल. परवलिया थाना पुलिस ने एक दूल्हे के शादी कार्यक्रम में कट्टे से की गई फायरिंग पर केस दर्ज किया है. गुरुवार को घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने दूल्हे के चाचा ससुर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूल्हा अभी फरार है. जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि शादी हाल में कार्यक्रम के दौरान दूल्हे मिस्बा खान ने कट्टे से हर्ष फायरिंग कर दी. दूल्हे को यह कट्टा उसके चाचा ससुर असलम खान ने दिया था. इस घटना का वीडियो बारात में शामिल लोगों ने बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. गनीमत रही कि इस दौरान कोई अनहोनी नहीं हुई. वायरल वीडियो के आधार पर परवलिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए असलम खान को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक आरोपी असलम के कब्जे से अवैध हथियार जब्त किया है. मामले में फायरिंग करने वाला दूल्हा मिस्बा फिलहाल फरार चल रहा है.

इंजेक्शन के साथ आरोपी गिरफ्तार

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 09 अप्रैल. हनुमानगंज थाना पुलिस ने नशे के इंजेक्शन की खेप के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया. पुलिस ने मौके पर मिले महंगे ड्रग्स को भी जब्त कर लिया है.

थाना प्रभारी थाना हनुमानगंज अवधेश सिंह भदौरिया के अनुसार अवैध नशे के इंजेक्शन के साथ आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है. पुलिस को बुधवार देर रात सूचना मिली कि सिंधी कॉलोनी चौराहे के पास मेन रोड पर संदेही राहुल मिश्रा (29) निवासी शहडोल के पास ड्रग्स है.

आरोपी की तलाशी लेने पर उसके पास में रखे बैग में 130 नग इंजेक्शन, 255 नग नशीले इंजेक्शन और श्वसन रोधी इंजेक्शन मिले. पुलिस को कुल 385 नग इंजेक्शन, जिनमें कुल 770 एमएल ड्रग भरा मिला. आरोपी से वैध लाइसेंस मांगा, जो वह नहीं दिखा सका.

बुजुर्ग महिला की संदिग्ध हालत में मौत

- बाथरूम में जली हालत में मिला शव
- कैंसर की बीमारी से पीड़ित थी मृतका

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 09 अप्रैल. चूनाभट्टी थाना इलाके में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई. पुलिस ने घर के बाथरूम में जली हालत में बुजुर्ग का शव बरामद किया. पीएम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस जांच को आगे बढ़ाएगी. मर्ग कायम कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार बुजुर्ग निर्मला पटेल (75) सी सेक्टर में रहती थीं. निर्मला के परिवार में बहू-बेटा और नातिन हैं. उनका सड़क हादसे में घायल होने के बाद बेटा विकलांग हो चुका है, जबकि बहू बतौर एक टीचर के तौर पर कार्यरत है.

बुधवार को घर में निर्मला और उनकी नातिन ही थी. बुजुर्ग की बहू दोपहर बाद जब घर लौटी और बेटी से दादी के बारे में पूछा. घर में तलाश करते हुए निर्मला को पहली मंजिल पर बने बाथरूम में मृत देखकर पुलिस को सूचना दी. निर्मला का शरीर झुलसा देखकर पुलिस ने शव को पीएम के लिए भिजवाया. पुलिस को प्राथमिक जांच में पता चला है कि निर्मला कैंसर की बीमारी से पीड़ित थीं और मानसिक रूप से परेशान थीं. पुलिस को अंदेशा है कि बुजुर्ग ने खुद को आग लगाई होगी. घर में किसी बड़े व्यक्ति के मौके पर नहीं होने पर बाथरूम में ही उनकी जान चली गई. मर्ग कायम कर पुलिस घटना की जांच कर रही है.

ननि आयुक्त को क्रिकेट अकादमी हटाने दिया 4 सप्ताह का समय

अमल न होने पर होगी न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई

नवभारत संवाददाता

भोपाल, 09 अप्रैल. राजधानी के बीएचईएल क्षेत्र में साकेत नगर स्थित पार्क पर अतिक्रमण कर संचालित क्रिकेट अकादमी को हटाने के लिए निगर निगम को आदेशित किया है, जिसमें हाईकोर्ट ने निगम आयुक्त को चार माह का समय दिया है. बता दें कि जब इस कॉलोनी का निर्माण किया गया था, तब यह पार्क रहवासियों के लिए टहलने और बच्चों को खेलने के लिए निर्माण किया गया था. लेकिन कुछ लोगों ने इस पार्क पर अतिक्रमण कर क्रिकेट अकादमी का संचालन कर दिया था. जिसके खिलाफ वहां के रहवासियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पार्क से क्रिकेट अकादमी को खाली कराने के आदेश नगर निगम आयुक्त को दिए है.

समाधान योजना का लाभ 15 मई तक उठाएं

भोपाल, 09 अप्रैल. बकायादार बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से राय शासन द्वारा लागू की गई समाधान योजना 2025-26 की अंतिम तिथि अब 15 मई तक कर दी गई है. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा योजना की अंतिम तिथि में विस्तार किए जाने फलस्वरूप कंपनी कार्यक्षेत्र के 16 जिलों में बिजली बिलों के निपटारे के लिए समाधान योजना 2025-26 के तहत तीन महीने से अधिक पुराने बकायादार उपभोक्ताओं को सरचार्ज में भारी छूट प्रदान की जा रही है.

समस्याओं को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन

विशेष संवाददाता

भोपाल, 9 अप्रैल. जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल (शहर एवं ग्रामीण) ने किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर गुरुवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन का नेतृत्व शहर अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना और ग्रामीण अध्यक्ष अनोखी मानसिंह पटेल ने किया.

कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार पर किसान विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि गेहूं खरीदी में लगातार देरी के कारण किसान भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं. उन्होंने खरीदी तिथियों को बार-बार 23 मार्च से 1 अप्रैल, फिर 10 अप्रैल और आगे बढ़ाने को तारीख पर तारीख बताते हुए कहा कि इससे किसानों में व्यापक आक्रोश है. खरीदी केंद्र समय पर शुरू नहीं होने से किसानों को

अपनी उपज लेकर भटकना पड़ रहा है. नेताओं ने बताया कि सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ऋण वसूली की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित होने के कारण हजारों किसान डिफॉल्टर घोषित हो गए हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि जब खरीदी और भुगतान सुनिश्चित नहीं है, तो किसान ऋण कैसे चुकाएंगे. कांग्रेस का दावा है कि किसान मजबूरी में गेहूं 2000 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल के कम दाम पर बेचने को विवश हैं, जबकि पड़ोसी राज्य राजस्थान में मध्य मार्च से खरीदी सुचारू रूप से चल रही है. प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर खरीदी तुरंत शुरू करने, उचित समर्थन मूल्य दिलाने और ऋण वसूली पर रोक लगाने की मांग की गई. इस दौरान पी. सी. शर्मा, अवनीश भार्गव, अरुण श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान मौजूद रहे.

ऐशबाग में हवाई फायरिंग करने वाला इनामी बदमाश गिरफ्तार

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 09 अप्रैल. मंगलवारा थाना पुलिस ने ऐशबाग इलाके में हवाई फायर करने वाले 3 हजार रुपये के इनामी शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के पास से मौके पर एक अवैध चाकू और फायिरंग की गई एयर पिस्टल सहित अन्य सामान को भी जब्त किया है.

मंगलवारा थाना पुलिस के अनुसार घटना के बाद आरोपी दिलावर खान डबल फाटक मंगलवारा में संदिग्ध अवस्था में खड़ा मिला. सूचना के आधार पर पहुंची पुलिस ने उसे पकड़ा. दिलावर की तलाशी लेने पर उसके पास से एक आवाज करने वाली एयर पिस्टल, एक धारदार लोहे का चाकू और 7 नग बारूद के नकली बॉल्व मिले. पुलिस के मुताबिक सोहेल उर्फ दिलावर (24) अन्नू नगर नवाब कॉलोनी करोंद का रहने वाला है. पुलिस की पूछताछ में आरोपी दिलवार ने दोपहर 12 बजे के करीब थाना ऐशबाग के वागउमराव दुल्हा में अपने पास रखी हुई एयर पिस्टल से हवाई फायर करने की घटना करना स्वीकार किया. दिलावर के खिलाफ पूर्व में भी भोपाल और जीआरपी थाना भोपाल के विभिन्न थानों में करीब 32 अपराध दर्ज हैं. पूर्व के अपराधों में गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस को अपना पता बदल बदल कर लिखाया था, जो मूल रूप से राहतगढ़, सागर का रहने वाला है. वह पिछले 3 सालों से करोंद मण्डी निशातपुरा में किराये के मकान में अपनी पत्नी के साथ रह रहा था. आरोपी सोहेल उर्फ दिलावर कई थानों के पुराने मामलो में भी वांटेड है.

जानलेवा हमला करने वालों को भेजा जेल

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 09 अप्रैल. बीटेक और एमसीए करने वाले तीन आरोपी युवकों को अयोध्यानगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी सरेराह छुरी लेकर रंगदारी, रौबदारी कर कुछ युवकों पर छुरी से जानलेवा हमला किया था. पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेजा गया. आरोपियों ने पुरानी रंजिश को लेकर फरियादी और उसके साथियों पर जानलेवा हमला किया था. अयोध्या नगर थाना प्रभारी महेश लिल्हारे के अनुसार घटना 7 अप्रैल को फरियादी दिव्यांश आर्या और अभिनव राय अपने साथियों के कालोनी के गेट के पास खड़े थे. इस दौरान आरोपी सौरभ ठाकुर उर्फ गोल्डी, रितेश और यश रघुवंशी ने पुराने विवाद को लेकर सभी से विवाद करते हुए धारदार छुरी से जान से मारने की नियत से हमला कर दिया. इस हमले में धीरज, अभिनव और उनके साथी बुरी तरह घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. सभी आरोपी घटना के बाद से फरार हो गए थे.

दुष्कर्म का आरोपी युवक गिरफ्तार

मंगलवारा थाना पुलिस ने एक महिला के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी युवक को गिरफ्तार किया. पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी की लोकेशन किरनापुर बालाघाट में है. पुलिस की एक टीम बालाघाट पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया. पुलिस के मुताबिक 11 मार्च को पीड़िता ने 40 वर्षीय आरोपी लोकेश कुमार बोहने के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था. आरोपी पीड़िता से शादी करने का बोलकर लंबे समय तक उसके साथ लिवइन में रहा था. पीड़िता ने आरोप लगाया कि लोकेश ने उसका शारीरिक शोषण किया.

सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम | 'मयार ग्रुप' ने नशा और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों पर नुक्कड़ नाटक किया प्रस्तुत

सामुदायिक पुलिसिंग पहल की अभिनेत्री कृति सेनन ने की सराहना

विशेष संवाददाता

भोपाल, 9 अप्रैल. अभिनेत्री एवं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) की गुडविल एंबेसडर कृति सेनन ने भोपाल के महिला थाने में मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम में भाग लेते हुए राय के जनोन्मुखी पुलिसिंग मॉडल की सराहना की.

इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं, बचों और वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग के प्रयासों को रेखांकित करना था. इसमें

सामाजिक संगठनों, सर्वाइवर महिलाओं, छात्रों और बच्चों की सक्रिय भागीदारी रही, जिससे यह एक बहुआयामी और प्रभावशाली पहल बन गई.

कार्यक्रम में 'आरंभ' की अर्चना सहाय और 'संगिनी' की प्रार्थना मिश्रा सहित विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों ने सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार साझा किए. एक भावनात्मक सत्र के दौरान 'नाता प्रथा' और अन्य प्रकार के उत्पीड़न से प्रभावित महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए.

बीएसएस कॉलेज के 'मयार ग्रुप' द्वारा नशा और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया. वहीं झुग्गी बस्तियों के बचों ने मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया. कार्यक्रम के अंत में कृति सेनन ने परिसर का दौरा कर इस पहल को समावेशी और संवेदनशील पुलिसिंग का उत्कृष्ट उदाहरण बताया.

एमपी पुलिस आरक्षक भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित

- 7 हजार 5 सौ पदों के लिए अधिसूचना हुई थी जारी
- 23 फरवरी से 14 मार्च के बीच हुई थी परीक्षा

विशेष संवाददाता

भोपाल, 9 अप्रैल. मध्यप्रदेश पुलिस में आरक्षक पदों पर भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है. यह भर्ती प्रक्रिया मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित की गई थी, जिसके तहत अगस्त 2025 में 7 हजार 5 सौ पदों के लिए अधिसूचना जारी की गई थी.

इस भर्ती के लिए प्रदेशभर से 9 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने

आवेदन किया था, जो युवाओं में पुलिस सेवा के प्रति बढ़ती रुचि को दर्शाता है. लिखित परीक्षा प्रदेश के विभिन्न शहरों में लगभग एक माह की अवधि में आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया.

लिखित परीक्षा के बाद कुल 57 हजार 9 सौ 90 अभ्यर्थियों को (शारीरिक दक्षता परीक्षा) के लिए चयनित किया था. यह परीक्षा 23 फरवरी से 14 मार्च के बीच प्रदेश के 10 निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की गई, जिसमें करीब 44 हजार 483 अभ्यर्थी शामिल हुए. पूरी चयन प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराई गई.

सभी चरणों के सफल समापन के बाद अब अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है, जिसे चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है. घोषित परिणाम के अनुसार कुल 6,525 अभ्यर्थी सफल हुए हैं. इनमें से 5,916 अभ्यर्थियों का चयन जिला पुलिस बल के लिए तथा 609 अभ्यर्थियों का चयन विशेष सशस्त्र बल के लिए किया गया है.